

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक-2046/प्र0अ0/सिंचाई/कार्मिक-2/ई-14, दिनांक 20 अप्रैल 2024

समस्त मुख्य अभियन्ता, (स्तर-1/II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।

समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

उपर्युक्त विषयक सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के अन्तर्गत समूह "ग" के कार्मिकों की सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण की सूचियाँ वरिष्ठताक्रम में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की गयी है।

अतः विभागीय वेबसाईट पर अपलोड सूची के आधार पर अपना प्रत्यावेदन/प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार तय समय सीमा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 23(4) के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों द्वारा अधिकतम 10 ऐच्छिक स्थानों के विकल्प दिये जाने की तिथि 20.04.2024।

2. स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 23(5) के अनुसार अनुरोध के आधार पर आवेदन किये जाने की तिथि 30.04.2024 बिन्दु संख्या-1 के कार्मिक भी शीघ्र विकल्प उपलब्ध कराये। सम्बन्धित कार्मिकों अपना प्रत्यावेदन/अनुरोध पत्र साक्ष्यों सहित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाने के पश्चात प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता


20/4/24